


42

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R-3675-II/16

जिला- सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्रवाई तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिवक्ता के हस्ताक्षर
<p>6/2/19</p>	<p>इस प्रकरण में दिनांक 22/6/18 को उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी <u>न.ए.सीलदार सीहोर</u> के प्रकरण क्रमांक <u>92/अ-२१/१५-१६</u> में पारित आदेश दिनांक <u>6/9/16</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई दिये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है। अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण कलेक्टर जिला <u>सीहोर</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक <u>२७/५/१९</u> को कलेक्टर जिला <u>सीहोर</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right">  सदस्य </p>